ब्यावर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

178/2021/225 रामरतन बनाम श्रीमती सीता

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2021/178 श्री त्रिलोकचंद जांगिड़ श्री	

रामरतन बनाम श्रीमती सीता वगैरह

16.7.21 पत्रावली वास्ते कमीपूर्ति पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपील में विपक्षीगण की तलबी हेतु नोटिस पेश नहीं किये जाने के कारण पत्रावली वास्ते कमीपूर्ति हेतु रखी गयी है। किन्तु अपील में विपक्षीगण को नोटिस पेश करने की आवश्यकता नही है क्योंकि वादी द्वारा वाद दायर किये जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के रीड़र ने गलत व गैर कानूनी रूप से जॉच रिपोर्ट में यह अंकित कर दिया कि राजस्व रिकार्ड अनुसार आबादी भूमि अंकित है जिसके सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय व सहायक कलक्टर, ब्यावर ने यह आदेश दिया कि " Send back to be filed in appropriate court" । अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त पालना में कोई प्रोसिडिंग ड्रा नहीं की जबकि इस आदेश की अनुपालना में प्रोसिडिंग ड्रा की जानी बंधनकारी थी। वादग्रस्त आराजी की किस्म भले ही आबादी में अंकित है किन्तु राजस्व अभिलेखों में बेचानकर्ताओं के नाम खातेदारी में अंकित है। अतः खातेदार अधिकारों की घोषणा सिवाय राजस्व न्यायालय के अन्य किसी भी न्यायालय अथवा सिविल न्यायालय को घोषित करने की अधिकारिता नहीं है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किया नही एवं नहीं सुनवाई का अवसर देकर भारी भूल की है वरन् वादी/अपीलार्थी के साथ न्याय नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 22.03.2021 पत्रावली पर उपलब्ध, तथ्यात्मक व विधिक दोनो ही स्थितियों के सर्वथा प्रतिकूल होने के साथ गलत आधारहीन व विधि विरूद्ध होने से किसी भी स्थिति में कानूनन विद्यमान रहने योग्य नहीं है। माननीय न्यायालय से अनुरोध अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2021 निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर वाद को दर्ज किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित करने का आदेश प्रदान किया जावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 1998 पेज 529 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व अपील मीमो का अवलोकन किया गया। अपील का अवलोकन करने पर कृषि सम्बन्धी एवं आबादी सम्बन्धी कोई रिकार्ड का दस्तावेज नहीं लगाया है। जिससे यह सिद्ध नहीं हो पाता कि भूमि कृषि है अथवा आबादी भूमि है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय ~~...~~ में अंकित रिपोर्ट के अनुसार वकील प्रार्थी प्रकरण सक्षम न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/7/2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर